न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक निग – 186 – II – 16 सन् 2016

पन्ना तनय नत्थू यादव
निवासी फौजदार मुहल्ला राजनगर, तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म0प्र0 ---------निगरानीकर्ता

बनाम

1. मनकू पिता बाबूलाल काछी
2. कल्लू उर्फ रामप्यारे तनय बाबूलाल काछी
3. संतू उर्फ संतोष तनय बाबूलाल काछी
4. मथुरिया पुत्री चउवा काछी
5. रामकिशुन तनय छनुवा काछी
   समस्त निवासीगण ग्राम पहरापुरवा मजरा करियाबीजा,
   तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0
6. जीतेन्द्र सिंह तनय महराज सिंह ठाकुर,
   निवासी ग्राम टुरया, तहसील राजनगर,
   जिला छतरपुर म0प्र0 -------- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 81/अपील/2013–14 न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर, जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2016 से परिवेदित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्न निगरानी सादर प्रस्तुत करते है :–

–: निगरानी के तथ्य :–

1. यह कि ग्राम पहरापुरवा का खाता क्रमांक 252, भूमि खसरा नं0 1099, रकवा 0.040 हे0, एवं खसरा नं0 1102, 1104, 1108, कुल किता 03 एवं खसरा नं0 1098, 1100, 1101, 1103, 1104/1, 1105, 1106, 1107, एवं खसरा नं0 1022/2/8, 1208/2, साथ ही खसरा नं0 1208/1, का खाता निगरानीकर्ता व गैरनिगरानीकर्तागणों के नाम से बतौर भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आ रही थी। जिसका मौके पर आपसी सहमति से बटवारा उभयपक्षों के मध्य किया जा चुका था। उसी अनुसार काबिज काश्त थे।

क्रमशः//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-186-दो/2016 जिला छतरपुर पन्ना विरूद्ध मनकू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019 4.1.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री दिलीप गोस्वामी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण क्रमांक 81/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 05-01-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-01-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 4.1.19
सदस्य